फर्द अहकाम

गोपाल........ बनाम ....घनश्याम.......... वगै.

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या– ~~अस्थाई~~ Review निषेधाज्ञा 35......../2021

21/12/2021	प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर दिनांक 08. 12.2021 को अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय की समीक्षा करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी द्वारा जो अनुतोष चाहा गया था उसके प्रकाश मे पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का मनन कर पाया कि उसके अनुसार अनुतोष पूर्व मे प्रदान किया जा चुका है। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय की समीक्षा करना तभी उचित है "जब प्रार्थी अपने को व्यथित समझता है और जो ऐसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य के पता चलने से जो सम्यक तत्परता के प्रयोग के पश्चात उस समय जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश किया गया था, उसके ज्ञान मे नही था या उसके द्वारा पेश नही किया गया जा सकता था, या किसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट होती हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण से वह चाहता है कि उसके विरूद्ध पारित डिक्री या किये गये आदेश का पुनर्विलोकन किया जावे।" प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा इस प्रार्थना पत्र के साथ कोई भी ऐसा नया तथ्य पेश नही किया गया व न ही निर्णय मे कोई लिपिकीय त्रुटि पाई गई, जिससे निर्णय की समीक्षा करने का कोई वाजिब कारण प्रतीत नही होता है। अतः यह रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है। Signature Not Verified Digitally signed by Arshdeep Brar Date: 2022.02.10 13:36:33 IST Reason: SelfAttested अर्शदीप बराड़ (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम